

अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान एपीडा मंडपों का निर्माण और डिजाइनिंग के लिए एजेंसियों को सूची में सम्मिलित करने हेतु रुचि प्रकटन प्रस्तुत करने के लिए संदर्भ की शर्तें

1. प्रस्तावना

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को देश से खाद्य उत्पादों का निर्यात संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी आजापित है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एपीडा विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेता है जिसमें विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी शामिल है जिसमें एपीडा - इंडिया पवेलियन (थीम पवेलियन और साथ ही विभिन्न निर्यातकों के प्रदर्शन के लिए होता है) की संस्थापना जिससे विविध निर्यातकों के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विकास और संवर्धन को सुविधाजनक बनाया जाए ।

2. गतिविधियाँ

वर्ष 2019-20 के दौरान, एपीडा द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया जाएगा। हालांकि निर्माण, सजावट और संबंधित कार्यकलाप के लिए कुछ चयनित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों की सेवाओं की आवश्यकता होगी ।

3. कार्य का दायरा

एपीडा द्वारा मैं निम्नलिखित गतिविधियों के लिए पात्र एजेंसियों से निर्धारित प्रारूप (अनुबंध 1) में आवेदन आमंत्रित है जिससे प्रतिष्ठित एजेंसियों को सूची में सम्मिलित (एम्पानेल) किया किया जा सके:-

3.1 प्रदर्शनी और थीम मंडप के लिए समग्र अवधारणा/संकल्पना ।

3.2 एपीडा - भारत पवेलियन की डिजाइनिंग और सृजनात्मकता जिसमें अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के निर्यातक / प्रतिभागी शामिल हैं।

- 3.3 उपर्युक्त आयोजनों के लिए केन्द्रित उत्पादों (भारतीय जैविक उत्पाद, ताजे फल और सब्जियां, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद आदि) के लिए एक उपयुक्त भारतीय ब्रांड बनाना।
- 3.4 प्रत्येक मेले के लिए आवंटित स्थान के सर्वोत्कृष्ट/अनुकूलतम उपयोग के साथ मंजिल योजना तैयार करना।

4. पात्रता मानदंड

न्यूनतम योग्यता रखने वाली एजेंसियों को आवेदन हेतु आमंत्रित किया जाता है:

- 4.1 एजेंसी को एपीडा के लिए परियोजना शुरू करने के लिए एक रचनात्मक टीम प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को संभालने में समकक्ष अनुभव का प्रदर्शन करना चाहिए। सर्वोत्कृष्ट डिजाइन की कल्पना करने और निष्पादित करने की व्यापक क्षमता के साथ एजेंसियों को एक ओजस्वी डिजाइन और सौंदर्य बोध होना चाहिए।
- 4.2 पंजीकृत व्यावसायिक इकाई/सेवा प्रदाता और न्यूनतम 5 वर्षों का अनिभव होना चाहिए। टैन पंजीकरण संख्या/ प्रत्यक्ष कर / आयकर / व्यापार कर / वैट / जीएसटी, आदि के रूप में लागू तकनीकी बोली प्रारूप में उद्धृत किया जा सकता है और प्रमाण पत्र / प्रमाण की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। ये दस्तावेज केवल आवेदक संगठन के नाम पर होने चाहिए न कि समूह/सहयोगी संगठनों के। दूसरे शब्दों में, प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों में आवेदक संगठन का नाम समान होना चाहिए।
- 4.3 2018-19 के दौरान अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में मंडपों (२०० वर्गमीटर से कम नहीं) के डिजाइन, संकल्पना/अवधारणा में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव। (सहायक दस्तावेज संलग्न किए जाएं)।
- 4.4 पिछले 3 वर्षों में, अर्थात् 2015-16 के बाद आयोजन प्रबंधन (इवेंट मैनेजमेंट) गतिविधि से 3 करोड़ रुपये का औसत कारोबार हो । इसे प्रमाणित करते हुए सीए प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए ।
- 4.5 एपीडा, नई दिल्ली में देय डीडी के रूप में 2.00 लाख रूपए (केवल दो लाख रुपये) की ईएमडी बोली के लिए आवश्यक है जिसके बिना बोली प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा। एपीडा द्वारा ई.एम.डी को बरकरार रखा जाएगा जो बिना किसी ब्याज आदि के

वित्तीय समाप्ति के बाद वापस कर दिया जाएगा। हालांकि , यदि एजेंसी संतोषजनक ढंग से सौंपे गए कार्य को निष्पादित करने में विफल रहती है , तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।

4.6 एक स्व प्रमाणित प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि एजेंसी को किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है और यदि ऐसा है, तो यह उक्त तारीख को लागू नहीं है।

4.7 बोली दस्तावेज जमा करने के लिए आवेदन पत्र प्रोफार्मा - 1 में है।

5. नियम एवं शर्तें

5.1 आवेदकों को अपने स्वयं के हित में यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी जाती है कि जाँच सूची अथवा चेकलिस्ट में दिए गए सभी बिंदुओं को उनके आवेदन के अनुसार संकलित किया गया है , यह विफल होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। अपूर्ण आवेदनों को सरसरी तौर पर स्वीकृत कर दिया जाएगा।

5.2 यह मान लिया जाएगा कि आवेदक द्वारा बोली दस्तावेज में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया गया है ।

5.3 किसी भी अंतःविषय , मिटाके लिखना या दुबारा लिखना अथवा ओवरराइटिंग को केवल तभी मान्य माना जाएगा जब वे आवेदक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित / हस्ताक्षरित हों।

5.4 जी.एफ.आर के वर्तमान नियम लागू होगी ।

5.5 सूची में सम्मिलित किए गए एजेंसियों की कार्यावधि के लिए यदि उससे पहले नहीं हटाया गया हो तो।

6. निम्नलिखित के लिए एपीडा के पास इसका अधिकार है:

- 6.1 आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा अपने सुविधानुसार बढ़ा सकती है ।
- 6.2 किसी भी समय चयन से पहले/ अनुबंध / आदेश जारी करने से पहले बिना किसी कारण और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना, एपीडा द्वारा किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।
- 6.3 चयन प्रक्रिया के नियमों एवं शर्तों को संशोधित किया जा सकता है ।
- 6.4 आवेदक से किसी भी प्रकार का संबंधित जानकारी/दस्तावेज सूची में सम्मिलित करने हेतु निर्णय लेने के लिए मांग सकती है।
- 6.5 एपीडा का निर्णय इस संबंध में अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 6.6 इस दस्तावेज के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए, अध्यक्ष एपीडा का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों यानी बोलीदाता और एपीडा पर बाध्यकारी होगा।
- 6.7 अस्वीकृति / गैर-चयन की कोई कीमत एपीडा पर लागू नहीं होगी।

7. चयन प्रक्रिया

- 7.1 एपीडा में एक समिति प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक जांच करेगी और निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा । शॉर्टलिस्ट की गई एजेंसियों को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुति करण देना होगा । अंक (स्कोर) और महत्व (वेटेज) मानदंड अनुलग्नक - 2 पर है।
- 7.2 चयन समिति द्वारा अंकन में सभी प्रस्तुति कारणों को अनुबंध-2 में निर्धारित पात्रता के अनुसार अंक दिए जायेंगे । एजेंसी जिसका प्रस्तुतिकरण में न्यूनतम 70% अंक (50 में से 35 अंक) स्कोर करने वाले को सूची में सम्मिलित करने हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो 31 मार्च, 2020 तक मान्य होगा (यदि इससे इसे वापस नहीं लिया गया हो या अगले एक साल के लिए बढ़ा दिया गया हो)।
- 7.3 सूची में सम्मिलित करने की समयावधि के दौरान, सूची में सम्मिलित एजेंसियों को समय-समय पर एपीडा द्वारा तय किए गए ऐसे नोटिस पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रदर्शनियों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए एजेंसियों से बोली आमंत्रित की जाएगी ।
- 7.4 किसी विशेष आयोजन के लिए बोली प्रस्तुत करने वाली एजेंसियों को प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा जाएगा और निर्धारित मानदंडों पर प्रस्तुति करण में 70% अंक पाने वालों की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। अनुबंध को सबसे कम दरों यानी एल - 1 बोली वाली एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा।

एपीडा सम्मेलन कक्ष एपीडा में 14.6.2019 को पूर्वाह्न 11 बजे तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग, 3 सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, खेल गाँव के सामने अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110 016 में किसी प्रकार की समस्याओं या मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए प्री-बिड आयोजित की जाएगी।

बोली जमा करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई, 2019 से 1500 बजे तक है। पूर्ण आवेदन निम्नलिखित अधिकारी को संबोधित कर प्रस्तुत किया जाए:

महाप्रबंधक (व्यापार मेला)

एपीडा

तीसरी मंजिल, एन सी यू आई बिल्डिंग, 3 सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, खेल गाँव के सामने
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110 016

फ़ोन /फैक्स : 2651 4046

ई मेल : ssnayyar@apeda.gov.in

एपीडा मंडपों के निर्माण और डिजाइनिंग के लिए एजेंसियों के पैनल के लिए ब्याज की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए आवेदन प्रोफार्मा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान

1.	संगठन का नाम	
2.	पता	
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण	
4.	संपर्क व्यक्ति	
5.	कुल वेतन भुगतान के आधार पर कर्मचारियों की संख्या सहित एजेंसी की रूपरेखा	कर्मचारियों की संख्या_____
6.	अनुभव (कुल कितने वर्षों का अनुभव)	वर्षों की संख्या_____
7.	ट्रैक रिकॉर्ड - काम की समान प्रकृति को संभालने का पिछला अनुभव (कृपया यहां उल्लेख करें)। कंपनी के पास 5 वर्ष का कार्य अनुभव (संलग्न किये गए कार्य की सूची कार्यादेश की प्रति के साथ) होना चाहिए	
8.	पिछले 3 वर्षों में घटना प्रबंधन गतिविधि से 3 करोड़ रुपये का औसत कारोबार अर्थात् 2015-16 के बाद। यह प्रमाणित करने के लिए सी ए प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए ।	
9.	स्थायी खाता संख्या पैन (स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
10.	सेवा कर / वैट नंबर / जी.एस.टी (स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
11.	ग्राहकों की सूची	
12.	एक स्व-प्रमाणित घोषणा को यह उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है और यह आज तक लागू नहीं है।	
13.	ईएमडी के लिए 2,00,000 / - रु के लिए एपीडा	

	के पक्ष में नई दिल्ली में देय डीडी प्रस्तुत करे	
14.	अन्य प्रासंगिक विवरण, यदि कोई हो	
15.	संलग्नक की सूची	

मैं / हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यह और प्रमाणित है कि न तो संगठन और न ही संगठन के किसी भी अधिकारी ने अनैतिक प्रथाओं का सहारा लिया है और कोई भी जांच / सतर्कता जांच किसी भी एजेंसियों / अदालतों द्वारा लंबित है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता _____

नाम _____

दिनांक - / - / ---- स्थान

स्कोर/ वेटेज मानदंड

क्र. सं.	क्षेत्र	स्कोर/ वेटेज मानदंड						
1.	एपीडा द्वारा नियमित आधार पर की जाने वाली आवश्यक गतिविधियों के बारे में समझना	25						
2.	कंपनी का टर्नओवर: अंकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है (प्रमाण प्रस्तुत किया जाए):	5						
	<table border="1"> <tr> <td>3 - 5 करोड़ रुपए</td> <td>2 अंक</td> </tr> <tr> <td>5 - 10 करोड़ रुपए से ऊपर</td> <td>3 अंक</td> </tr> <tr> <td>10 करोड़ रुपए से अधिक</td> <td>5 अंक</td> </tr> </table>	3 - 5 करोड़ रुपए	2 अंक	5 - 10 करोड़ रुपए से ऊपर	3 अंक	10 करोड़ रुपए से अधिक	5 अंक	
3 - 5 करोड़ रुपए	2 अंक							
5 - 10 करोड़ रुपए से ऊपर	3 अंक							
10 करोड़ रुपए से अधिक	5 अंक							
3.	सरकार या प्रतिष्ठित निजी निकायों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान प्रकृति के पिछले कार्य। अंकों का विभाजन नीचे दिया गया है (प्रमाण प्रस्तुत किया जाए):	5						
	<table border="1"> <tr> <td>5-7 वर्ष</td> <td>2 अंक</td> </tr> <tr> <td>7-10 वर्ष</td> <td>3 अंक</td> </tr> <tr> <td>10 से अधिक वर्ष</td> <td>5 अंक</td> </tr> </table>	5-7 वर्ष	2 अंक	7-10 वर्ष	3 अंक	10 से अधिक वर्ष	5 अंक	
5-7 वर्ष	2 अंक							
7-10 वर्ष	3 अंक							
10 से अधिक वर्ष	5 अंक							
4.	संगठन की शक्ति / विशेषज्ञता	10						
5.	2018-19 के दौरान मंडप का निर्माण और डिजाइनिंग	5						
	<table border="1"> <tr> <td>200 वर्ग मीटर</td> <td>2 अंक</td> </tr> <tr> <td>200-600 वर्ग मीटर</td> <td>3 अंक</td> </tr> <tr> <td>600 वर्ग मीटर से अधिक</td> <td>5 अंक</td> </tr> </table>	200 वर्ग मीटर	2 अंक	200-600 वर्ग मीटर	3 अंक	600 वर्ग मीटर से अधिक	5 अंक	
200 वर्ग मीटर	2 अंक							
200-600 वर्ग मीटर	3 अंक							
600 वर्ग मीटर से अधिक	5 अंक							